Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 211–2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021 (AGRAHAYANA 26, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 17th December, 2021

No. 34-HLA of 2021/90 /31742.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Bill, 2021is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 34-HLA of 2021

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT AREAS OUTSIDE MUNICIPAL AREA (SPECIAL PROVISIONS) BILL, 2021

A

BILL

to make special provisions for providing essential services in civic amenities and infrastructure deficient areas outside municipal area in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Act, 2021. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "declared area" means an area declared to be civic amenities and infrastructure deficient area under section 3;

(b) "development agency" means such agency as the Government may, by notification in the Official Gazette, notify;

(c) "Director" means the Director, Town and Country Planning Department, Haryana;

(d) "District Level Scrutiny Committee" means a committee constituted under section 4;

(e) "essential services"includes water supply, sewerage, roads and street lights;

(f) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(g) "municipal area" means the municipal area as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) or the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), as the case may be;

(h) "public land" means land owned by the Central or the State Government, Boards or Corporations constituted under any Central or State law or owned by the Central or State Government including the land owned by Gram Panchayat or municipality;

(i) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(j) "unauthorized building" means building that has been erected in contravention of the provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) or any other law for the time being in force;

(k) "unauthorized development" means an area that has been developed in contravention of the provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) or any other law for the time being in force;

(l) "unauthorized plot" means the area which has been sub-divided in contravention of the provisions of section 7 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975).

Declared area.

3. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any area outside the municipal area to be a civic amenities and infrastructure deficient area, after considering the recommendations made by the Director as per the criteria specified by the Government in this regard.

(2) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, any rules, regulations or bye-laws made thereunder, any judgment, decree or order of any court or any authority to the contrary, the Government shall take all possible measures to finalize criteria, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of civic amenities and infrastructure deficiencies in the declared area.

District Level Scrutiny Committee.

4. The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a District Level Scrutiny Committee to be headed by the concerned Deputy Commissioner consisting of such number of members, as the Government may deem fit, which shall submit the proposal for the purposes of section 3 to the concerned Divisional Commissioner. The Divisional Commissioner shall forward his recommendations to the Director.

Proceedings to be kept in abeyance.

5. All notices and restoration orders passed prior to the commencement of this Act or before the declaration is made under section 3 of the Act to this effect, as the case may be, by the Director or any officer authorized in this behalf in the declared area for initiating legal action against persons who have sub-divided the land without authority or have erected or re-erected unauthorized building or have made unauthorized development in contravention of the provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) or any other law for the time being in force, shall be deemed to have been suspended in the declared area and no further punitive action shall be taken except in the cases forwarded to or pending before any court of law.

Regularization.

6. Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, the concerned development agency under which the declared area falls, may initiate action for providing essential services in such an area and further the plots or buildings or development area located in the declared area shall, subject to the payment of fee and fulfillment of the terms and conditions within the specified time, as may be prescribed, be deemed to be regularized.

7. No person shall be entitled to claim any benefit or relief unless all the terms and conditions, as specified by the Government have been fulfilled and requisite fee, as may be prescribed has been deposited. Entitlement for benefit.

8. The Director shall carry out such directions, as may be issued to him from time to time, by the Government for efficient administration of this Act. Control by Government.

9. The Director with the approval of the Government may, from time to time or under the directions issued by the Government under section 8, shall issue directions as are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act. Power to issue directions.

10. If the Government is of the opinion that the operation of any of the provisions of this Act or any part of notification issued under the Act causes or has caused undue hardship or circumstances exists which render it expedient to do so, it may, subject to such terms and conditions, as it may impose by an order, give relaxation to any class of persons or area or land from all or any of provisions of the Act. Power to relax.

11. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder. Protection of action taken in good faith.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government in respect of any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

12. No civil court shall have the jurisdiction to entertain any suit relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder. Bar of jurisdiction.

13. Nothing in this Act shall apply to any area – Exemptions.

(a) which is notified or covered under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), the Forest Conservation Act, 1980 (Central Act 69 of 1980), the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), the Works of Defence Act, 1903 (Central Act 7 of 1903), the Indian Electricity Act, 1910 (Central Act 9 of 1910) or any other Central Act;

(b) which is an encroachment on public land;

(c) where any industrial unit is located;

(d) where any commercial building, mall, multiplex, hotel or banquet hall is located;

(e) wheresuch type of building, as may be prescribed is located.

14. The Government may, by notification in the Official Gazette and subject to previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Recently the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2021 was enacted with an objective to provide essential services in the civic amenities deficient areas situated within the Municipal Areas of the State. The object of the said enactment was to improve the living conditions of the inhabitants of the State. It has been observed that the colonies with deficient infrastructure are not only situated within the Municipal Areas but such colonies with deficient infrastructure are also situated outside municipal areas in various towns of the State. On humanitarian ground, it is the primary objective of the State Government to provide minimum infrastructure to ensure the healthy living in such areas. Therefore, in view of above, for providing basic infrastructure facilities to ensure healthy living, it is proposed that a new Bill namely the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provisions) Bill, 2021 may be enacted.

Hence the bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 17th December, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATIONS

Section 3 of the proposed bill empowers State Government to declare any area outside municipal area to be a civic amenities and infrastructure deficient area. Section 4 of the proposed bill empowers State Government to constitute a District Level Committee headed by concerned Deputy Commissioner. Section 7 of the proposed bill empowers State Government to levy a fee in the notified area for making provision of essential services. Section14 of the proposed bill empowers State Government to make Rules.

This delegation of powers to the executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 34–एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना के लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु तथा उससे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबन्ध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''घोषित क्षेत्र'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना वाले क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र ;

(ख) ''विकास अभिकरण '' से अभिप्राय है, ऐसा अभिकरण, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित करे ;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्राय है, निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ;

(घ) ''जिला स्तरीय संवीक्षा समिति'' से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित कोई समिति ;

(ङ) ''आवश्यक सेवाओं'' में शामिल हैं, जल आपूर्ति, मल निकास, सड़कें तथा स्ट्रीट लाइटें ;

(च) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(छ) ''नगरपालिका क्षेत्र'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), जैसी भी स्थिति हो, में यथा परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र ;

(ज) ''सार्वजनिक भूमि'' से अभिप्राय है, ग्राम पंचायत या नगरपालिका के स्वामित्वाधीन भूमि सहित केन्द्रीय या राज्य सरकार, किसी केन्द्रीय या राज्य विधि के अधीन गठित या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन बोर्डों या निगमों के स्वामित्वाधीन भूमि ;

(झ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ञ) ''अप्राधिकृत निर्माण'' से अभिप्राय है, ऐसा निर्माण, जो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), हरियाणा नई राजधानी (परधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया है;

(ट) ''अप्राधिकृत विकास'' से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में विकसित किया गया है;

(ठ) ''अप्राधिकृत प्लाट'' से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 7 के उपबन्धों के उल्लंघन में उप–विभाजित किया गया है।

घोषित क्षेत्र।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार निदेशक द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद, नगरपालिका क्षेत्र से बाह्य किसी क्षेत्र को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना वाले क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है।

(2) तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि, इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों, किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के किसी न्याय–निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार घोषित क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना की समस्या से निपटने हेतु मानकों, पॉलिसी, दिशा–निर्देशों तथा साध्य रणनीतियों को अन्तिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी।

4. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सदस्यों की ऐसी संख्या, जो सरकार उचित समझे, से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता सम्बद्ध उपायुक्त द्वारा की जाएगी, जो सम्बद्ध मण्डल आयुक्त को धारा 3 के प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। मण्डल आयुक्त अपनी सिफारिशें निदेशक को अग्रेषित करेगा। जिला स्तरीय संवीक्षा समिति।

5. ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों की उल्लंघना में प्राधिकर के बिना भूमि का उप–विभाजन किया है या अप्राधिकृत निर्माण का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण किया है या अप्राधिकृत विकास किया है, के विरूद्ध विधिक कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए घोषित क्षेत्र में निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस प्रभाव की गई घोषणा, जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व जारी सभी नोटिसों तथा पारित प्रत्यावर्तन आदेश, घोषित क्षेत्र में निलम्बित किए गए समझे जाएंगे तथा विधि के किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथा लम्बित मामलों के सिवाय, कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्यवाहियाँ आस्थगित रखना।

6. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सम्बद्ध विकास अभिकरण, जिसके अधीन घोषित क्षेत्र आता है, ऐसे क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर सकता है तथा आगे घोषित क्षेत्र में अवस्थित प्लाटों या निर्माणों या विकास क्षेत्र को विनिर्दिष्ट समय के भीतर फीस के भुगतान तथा निबंधनों तथा शर्तों, जो विहित की जाएं, को पूरा करने के अध्यधीन नियमित किया गया समझा जाएगा। नियमितीकरण।

7. कोई भी व्यक्ति तब तक किसी लाभ या राहत के दावे का हकदार नहीं होगा जब तक कि सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन तथा शर्तें पूरी न की गई हों तथा अपेक्षित फीस, जो विहित की जाए, जमा न करवाई गई हो। लाभ के लिए हकदारी।

8. निदेशक, इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए ऐसे निर्देशों का कार्यान्वयन करेगा, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, उसे जारी किए जाएं। सरकार द्वारा नियन्त्रण।

9. निदेशक, सरकार के अनुमोदन से, समय–समय पर या धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन, ऐसे निर्देश जारी करेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों। निर्देश जारी करने की शक्ति।

10. यदि सरकार की राय है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना के किसी भाग के कार्यान्वयन में अनुचित कठिनाई हुई है या होती है या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जो इसे ऐसा करने के लिए समीचीन बनाती हैं, तो यह ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो यह आदेश द्वारा अधिरोपित करे, के अध्यधीन इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों में व्यक्तियों के किसी वर्ग या क्षेत्र या भूमि के संबंध में शिथिलीकरण कर सकती है। शिथिल करने की शक्ति।

11. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या सद्भावपूर्वक किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जा सकेंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या सद्भावपूर्वक किए जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या सम्भावित किसी क्षति के संबंध में सरकार के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

12. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में कोई वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। अधिकारिता का वर्जन।

छूट।

13. इस अधिनियम की कोई भी बात उस क्षेत्र को लागू नहीं होगी—

(क) जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1), भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 69), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7), भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का केन्द्रीय अधिनियम 9) या किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया गया है या आता है;

(ख) जिसमें सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ग) जहां कोई औद्योगिक इकाई अवस्थित है;

(घ) जहां कोई वाणिज्यिक निर्माण, माल, मल्टीप्लेक्स, होटल या दावत खाना अवस्थित है;

(ङ) जहां इस प्रकार का कोई निर्माण जो विहित किया जाए, अवस्थित है।

नियम बनाने की शक्ति।

14. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर स्थित नागरिक सुख–सुविधा अपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियमित का उद्देश्य राज्य के निवासियों की जीवन स्थिति को सुधारना था। यह अवलोकित किया गया है कि अपूर्ण अवसंरचना वाली कॉलोनियाँ न केवल नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं बल्कि ऐसी अपूर्ण अवसंरचना वाली कॉलोनियाँ राज्य के विभिन्न नगरों में नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर भी स्थित हैं। मानवीय आधार पर, ऐसे क्षेत्रों में स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना प्रदान करना राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। इसलिए, उपरोक्त के दृष्टिगत स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए मूल अवसंरचना सुविधाऐं प्रदान करने हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि एक नया विधेयक अर्थात् हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021 अधिनियमित किया जाए।

इसलिए विधेयक।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 17 दिसम्बर, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधानों के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 राज्य सरकार को नगरपालिका क्षेत्र के बाहर के किसी भी क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाला क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देती है प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 राज्य सरकार को संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 7 राज्य सरकार को आवश्यक सेवाओं का प्रावधान करने के लिए अधिसूचित क्षेत्र में शुल्क लगाने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 14 राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है।

कार्यपालिका को शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। इसलिए, हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के नियम 126 के तहत प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन संलग्न है।

9420—H.V.S.—H.G.P. Pkl.